



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072022-237389
CG-DL-E-20072022-237389

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3085]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2022/आषाढ़ 29, 1944

No. 3085]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2022/ASHADHA 29, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

का. आ. 3245(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4872 (अ.) तारीख 24 नवम्बर, 2021, भारत के राजपत्र तारीख 25 नवम्बर, 2021 में प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में कांडला — गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील — बीघापुर, जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश राज्य में एल.पी.जी. गैस के परिवहन हेतु आई0एच0बी0 लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आषय की घोषणा की थी, और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबंधित भू — स्वामियों को तारीख 08, जनवरी, 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए, और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : उन्नाव		राज्य : उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर - आर - वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6
बीघापुर	आकमपुर	23	00	03	11
		21	00	00	51
		18	00	05	06
		25	00	00	65
		24	00	06	14
		26	00	04	98
		27	00	01	44
		70	00	09	49
		28	00	00	62
		66	00	00	68
		71	00	06	11
		69	00	00	39
		83	00	07	67
		95	00	00	27
		110	00	05	82
		111	00	06	52
		107	00	13	59
बीघापुर	साहिला	568	00	01	31
		567	00	03	76
		561	00	08	43
		557	00	03	93
		554	00	08	95
		548	00	01	30
		547	00	01	85

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-1/ई-33882]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव,

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2022

S.O. 3245(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 4872 (E)) Dated the 24, November 2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 25 November, 2021 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Kandla - Gorakhpur LPG pipeline for the transportation of LPG from Kandla in the state of Gujarat

to Gorakhpur in the state of Uttar Pradesh - Tehsil :- Bighapur, District-Unnao in the state of Uttar Pradesh by I.H.B. Ltd.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the concerned land owner by 08, January, 2022.

And whereas Competent Authority I.H.B. Ltd., has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in I.H.B. Ltd., free from all encumbrances.

I.H. B. Ltd. shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Unnao		State : Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area		
			Hect.-Are - Sq. mtr.		
1	2	3	4	5	6
Bighapur	Akampur	23	00	03	11
		21	00	00	51
		18	00	05	06
		25	00	00	65
		24	00	06	14
		26	00	04	98
		27	00	01	44
		70	00	09	49
		28	00	00	62
		66	00	00	68
		71	00	06	11
		69	00	00	39
		83	00	07	67
		95	00	00	27
		110	00	05	82
		111	00	06	52
		107	00	13	59
Bighapur	Sahila	568	00	01	31
		567	00	03	76
		561	00	08	43
		557	00	03	93
		554	00	08	95
		548	00	01	30
		547	00	01	85

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under secy.